

संख्या 11030/47/80-अ0भा0से0॥1॥

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 17-4-1984

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों के
मुख्य सचिव ।

विषय:- उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति भेजने के बारे में ।

महोदय,


भारत संघ तथा अन्य वनाम श्री एस0वेंकटरमेया के विरुद्ध

लगाये गये आरोपों की जांच के लम्बित होने के दौरान, अधिकारियों
की पदोन्नति के सम्बन्ध में उनकी रिट याचिका सं0 6345/80 में

माननीय उच्च न्यायालय, आन्ध्र प्रदेश द्वारा दिए गए निर्णय की एक प्रति


/ इस पत्र के साथ भेजने का निदेश हुआ है । यह राज्य सरकारों की सूचना के
लिए है ।

भवदीय


श्रीमती अलका काला

उप सचिव, भारत सरकार

प्रति अनुलग्नों की प्रति के साथ, गृह मंत्रालय ॥यू0टी0एस0 अनुभाग॥
आई0पी0एस0 अनुभाग, कृषि विभाग ॥आई0एफ0एस0 अनुभाग॥ को
प्रेक्षित की जाती है ।


श्रीमती अलका काला
उप सचिव, भारत सरकार